नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज,फैजाबाद की वित्त उप समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 04–05–2018

स्थान : सभाकक्ष
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डी भवन अष्टम तल, विभूतिखण्ड,
गोमतीनगर ,
लखनऊ ।

समय : **मध्यान्ह 12.00 बजे ।**

उपस्थित :

1– प्रो0 जीत सिंह सन्धू , कुलपति – अध्यक्ष

2– श्री बी0राम शास्त्री , विशेष सचिव ,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

3– डा0कृपा शंकर पाण्डेय,अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन फैजाबाद मण्डल फैजाबाद नामित सदस्य प्रमुख सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

4– डा0राजीव पाण्डेय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

5– श्री छेदी सिंह , मान0सदस्य प्रबन्ध परिषद – सदस्य

6– श्री लाल प्रताप सिंह , वित्त नियंत्रक – सचिव

बैठक के प्रारम्भ में नवागत माननीय कुलपति म्होदय प्रो0 जीत सिंह सन्धू एवं बैठक में प्रथम बार भाग लेने वाले वित्त नियंत्रक श्री लाल प्रताप सिंह का स्वागत किया गया, तथा माननीय सदस्यों से परिचय हुआ , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत् प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत संस्तुतियॉ प्रदान की गयी :–

प्रस्ताव सं0 1 **वित्त उप समिति की गत बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि ।**

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांव्क 15–06–2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

प्रस्ताव सं0 2 **वित्त उप समिति की गत बैठकों में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही की सूचना ।**

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 15–06–2017 में लिये गये निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना से माननीय सदस्य अवगत हुये एवं निम्नवत परामर्शो के साथ सहमति व्यक्त की गयी ।

प्रस्ताव सं0 3 नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के वित्तीय वर्ष 2016–17
दिनांक 15–6–17 एवं पुनरीक्षित वर्ष 2017–18 अनुमानित आय व्यय पर विचार एवं निर्णय ।

उर्पयुक्त प्रस्ताव के द्वितीय बिन्दु पर पुर्नविचार करते हुए वित्त उपसमिति द्वारा यह प्रस्तावित किया गया कि विश्वविद्यालय में विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों के विज्ञापन व्यवस्थापको से शासकीय दरों पर विज्ञापन प्रकाशित किये जाने एवं यदि व्यवसायिक दरों पर विज्ञापन प्रकाशित किये जाते है तो उस पर डिस्काउन्ट प्राप्त करनें का प्रयास किया जाय।

प्रस्ताव सं0 3 विश्वविद्यालय मुख्य परिसर कें विद्युत बिलों में कमी लाने के उद्देश्य से 750 किलोवाट क्षमता का Grid Connected Rooftop Solar System स्थापित किये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के विद्युत बिलों में कमी लाने के उद्देश्य से 750 किलोवाट क्षम्ता का Grid Connected Rooftop Solar System हेतु रेस्को (RESCO) माडल विश्वविद्यालय में स्थापित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी। श्री छेदी सिंह ,माननीय सदस्य ने परामर्श दिया कि विश्वविद्यालय के बाह्य केन्द्रों पर भी विद्युत व्यय में अधिक भुगतान किया जा रहा है ,के दृष्टिगत मुख्यालय से बाहर स्थित केन्दों पर भी सोलर सिस्टम लगवाने की कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

प्रस्ताव सं0 4 विश्वविद्यालय परिसर में स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा पिठला एवं पंजाब नेंशनल बैंक , कुमारगंज को परिसर में ज्यादा कारपेट एरिया के आवंटन के संबंध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा विश्वविद्यालय परिसर मे स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा पिठला को परिसर में ज्यादा कारपेट एरिया के आवंटन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारतीय स्टेट बैंक शाखा पिठला को विश्वविद्यालय परिसर में ज्यादा कारपेट एरिया के आवंटन की संस्तुति प्रदान की गयी। यह भी प्रस्तावित किया गया कि प्रथमतः भवन का आवंटन पॉच वर्ष के लिए किया जाय तथा विश्वविद्यालय एवं बैंक की सहमति पर आगामी पॉच वर्षो के लिए भवन आवंटित किया जायेगा ।

प्रस्ताव सं0 5 विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी मंत्रालय भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित Capacity Building and Technology Demonstration on Processing of local Fruits and Vegetables for Alternate Livelihood of Tharu Tribe women परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी मंत्रालय भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विभाग द्वारा द्वारा वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव सं0 6 **पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 F.No. PPV& FRA/REG/ Maize, Pulse & Veg./2016-17 दिनांक 04–08–2017 द्वारा स्वीकृत परियोजना To Collection Characterization, Evaluation Maintenance and Registratin cf Minor Seed Spices grown in Farmer's Field परियोजना को विश्वविद्यालय की अग्रिम प्रबन्ध परिषद की बैठक में संचालन अनुमति प्रदान करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय .**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 7 **विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों / वैज्ञानिकों को कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत उच्च एकेडमिक ग्रेड वेतन (ए0जी0पी0) स्वीकृत किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप को लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों / वैज्ञानिकों को कैरियर एडवान्स्मेन्ट स्कीम के अन्तर्गत उच्च एकेडमिक ग्रेड वेतन (ए0जी0पी0) स्वीकृत किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 8 **विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्मिकों को विश्वविद्यालय के अन्य कार्मिकों की भाँति सभी सेवा लाभ यथा वेतन भत्ते, ए0सी0पी0, वेतन पुनरीक्षण व अन्य सुबिधाये प्रदान करने हेतु प्रबन्ध परिषद के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ ।**

वित्त उपसमिति द्वारा प्रस्ताव पर पर्याप्त विचार विमर्श करने के उपरान्त संस्तुति प्रदान की गयी कि प्रस्ताव के संबधं में पुनः आई0सी0ए0आर0 को पत्र भेजकर प्रस्ताव पर उनकी सहमति प्राप्त कर ली जाय तथा राज्य सरकार से संबंधित कार्मिकों को सेवानिवृत्तिक लाभ के संबंध में निर्देश प्राप्त किये जाए ।

प्रस्ताव सं0 9 **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से जनपद अमेठी, , बहराइच एवं गोण्डा में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित जनपद अमेठी, , बहराइच एवं गोण्डा में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की संस्तुति प्रदान करते हुये प्रस्तावित किया गया कि पदो के सृजन हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित कर अनुमति प्राप्त कर ली जाए तथा एन0पी0एस0 के संबधं में भी आई0सी0ए0आर0 को पत्र प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

प्रस्ताव सं0 10 **डा0के0के0 वर्मा, सहायक प्राध्यापक (मृदा विज्ञान) का अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स काठमाण्डू, नेपाल में प्रतिभाग किये गये यात्रा कार्यक्रम के कार्योत्तर स्वीकृति विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से डा0के0के0 वर्मा, सहायक प्राध्यापक (मृदा विज्ञान) का अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स काठमण्डू, नेपाल में प्रतिभाग किये गये यात्रा कार्यक्रम के कार्योत्तर स्वीकृति एवं पंजीकरण शुल्क के भुगतान किये जाने जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया । वित्त उप समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया कि डा0 वर्मा से अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स में भाग लेने संबंधी समस्त प्रपत्र अवलोकित कर लिया जाय ।

प्रस्ताव सं0 11 **विश्वविद्यालय के अधीन संचालित अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओं में कुछ पदों अथवा परियोजना के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप ऐसे कार्मिकों का अन्य परियोजनाओं तथा विभागों में समायोजन समय से न हो पाने की स्थिति में लम्बित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में विचार एव निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद के निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी ।

प्रस्ताव सं0 12 **विश्वविद्यालय के सूत्रकृमि विज्ञान विभाग में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त प्राध्यापक के एक पद को समर्पित करते हुए अधिष्ठाता छात्र कल्याण के पदनाम से स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सूत्रकृमि विज्ञान विभाग में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त प्राध्यापक के एक पद को समर्पित करते हुए अधिष्ठाता छात्र कल्याण के पदनाम से स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति प्रदान की गयी

प्रस्ताव सं0 13 **विश्वविद्यालय के उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त प्राध्यापक (पी0एच0टी0) के एक पद को समर्पित करते हुए अधिष्ठाता उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय के पदनाम से स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त प्राध्यापक (पी0एच0टी0) के एक पद को समर्पित करते हुए अधिष्ठाता उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय के पदनाम से स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 14 **राज्य सरकार आयोजनेत्तर की मद में क्रमशः रिवाल्विंग फण्ड , बाह्य संस्थाओं एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से वित्त पोषित परियाजनाओं के आवर्तक मद से संस्थागत शुल्क (Institutional Charges) के रूप में 10 प्रतिशत की धनराशि विश्वविद्यालय प्राप्तियों मे समाहित किये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से राज्य सरकार आयोजनेत्तर की मद में क्रमशः रिवाल्विंग फण्ड , बाह्य संस्थाओ एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से वित्त पोषित

परियोजनाओं के आवर्तक मद से संस्थागत शुल्क (Institutional Charges) के रूप में 10 प्रतिशत की धनराशि विश्वविद्यालय प्राप्तियों मे सनाहित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पत्र प्रेषित कर उनकी सहमति प्राप्त कर ली जाय ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
वित्त उप समिति

(जीत सिंह संधू) 11/5/18
कुलपति/ अध्यक्ष
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/वि0उ0स0/लेखा/2018/186 दिनांक 11 –05–2018

प्रतिलिपि – प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(लाल प्रताप सिंह) 11/5/18
वित्त नियंत्रक/ सचिव
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज,फैजाबाद की वित्त उप समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 09–07–2018

स्थान : सभाकक्ष
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डी भवन अष्टम तल, विभूतिखण्ड,
गोमतीनगर ,
लखनऊ ।

समय : मध्यान्ह 12.00 बजे ।

उपस्थित :

1– प्रो0 जीत सिंह सन्धू , कुलपति – अध्यक्ष

2– श्री नीरज श्रीवास्तव, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन फैजाबाद मण्डल फैजाबाद नामित सदस्य प्रमुख सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

3– श्री राधेश्याम गुप्ता , अनुसचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग ,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

4– श्री छेदी सिंह , मान0सदस्य प्रबन्ध परिषद – सदस्य

5– श्री लाल प्रताप सिंह , वित्त नियंत्रक – सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय ने माननीय सदस्यों का स्वागत किया , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत संस्तुतियॉ प्रदान की गयी :–

प्रस्ताव सं0 1 वित्त उप समिति की गत बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 04–05–2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

प्रस्ताव सं0 2 वित्त उप समिति की गत बैठकों में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही की सूचना ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 04–05–2018 में लिये गये निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना से माननीय सदस्य अवगत हुये एवं सहमति व्यक्त की गयी ।

प्रस्ताव सं0 3 नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के वित्तीय वर्ष 2017–18 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2018–19 अनुमानित आय व्ययक पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2017–18 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2018–19 अनुमानित आय व्ययक पर सम्यक विचारोपरान्त वित्त उपसमिति द्वारा परिशिष्ट–क के अनुसार आय व्ययक के अनुमोदनार्थ सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी। वित्त उपसमिति द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय का आय व्ययक भविष्य में शासन की भॉति रू0 लाख में तैयार किया जाय तथा राज्य सरकार आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत मदों को समाप्त करते हुए **राज्य सरकार क** एवं **राज्य सरकार ख** लिखा जाय ।

प्रस्ताव सं0 4 **विश्वविद्यालय कार्मिकों के भुगतान को पेरोल, साफटवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड कराये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय कार्मिकों के भुगतान को पेरोल, साफटवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड कराये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ,साथ ही यह सुझाव दिया गया कि यू0पी0डेस्को लखनऊ को वांछित भुगतान एवं कार्यादेश वित्तीय नियमानुसार किया जाय ।

प्रस्ताव सं0 5 **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना "Strengthening of Krishi Vigyan Kendra को इस विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एव निर्णय।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शत प्रतिशत वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 6 **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोष्ण से जनपद सुल्तानपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से जनपद सुल्तानपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की संस्तुति प्रदान की गयी तथा यह सुझाव दिया गया कि पदो पर नियुक्ति के संबंध में शासन को पत्र प्रेषित किया जाय ।

प्रस्ताव सं0 7 **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना "Strengthening of Veterinary Clinical Complex " को इस विश्वविद्यालय में 1 वर्ष के लिए कार्यान्वित किये जाने पर विचार एव निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शत प्रतिशत वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 8 **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना "Frozen semen Bank for Indigenous Livestock "को इस विश्वविद्यालय में 2 वर्ष के लिए कार्यान्वित किये जाने पर विचार एव निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शत प्रतिशत वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 9 **विश्वविद्यालय में जियो रिलायंस द्वारा वाई –फाई सेव स्थापित करने लिए लिए प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में जियों रिलायंस द्वारा वाई–फाई सेवा स्थापित करने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 10 **विश्वविद्यालय के उद्यान एव वानिकी महाविद्यालय में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त पद पर प्राध्यापक/ सह प्राध्यापक /सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करनें के सम्बन्ध में विचार एव निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के उद्यान एव वानिकी महाविद्यालय में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त पदों प्राध्यापक/ सह प्रध्यापक /सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी । प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा अनुसंधान विभाग के प्रतिनिधि द्वारा विश्वविद्यालय के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी ।

प्रस्ताव सं0 11 **विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के पदो को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 12 **पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में शैक्षिक सम्वर्ग में स्वीकृत 12 पदों को भरे जाने हेतु शैक्षिक अर्हता निर्धारित किए जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में शैक्षिक सम्वर्ग में स्वीकृत पदो को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 13 **विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता कृषि महाविद्याल्य , उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, मात्स्यिकीय महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय, कृषि अभिंत्रण एवं प्रौद्यौगिकी महाविद्यालय , पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय , उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, मात्स्यिकीय महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय, कृषि अभिंत्रण एवं प्रौद्यौगिकी महाविद्यालय , पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित. किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयो ।

प्रस्ताव सं0 14 **कृषि महाविद्यालय परिसर आजमगढ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कृषि महाविद्यालय आजमगढ हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि उपलब्ध कराये जाने की मॉग किये जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 15 **विश्वविद्यालय कर्मियों के माह अगस्त 2011 से जुलाई 2012 के मध्य जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि कोषागार में जमा किये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय कर्मियों के माह अगस्त 2011 से जुलाई 2012 के मध्य जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि कोषागार में जमा करने तथा जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि ब्याज सहित शासन से अतिरिक्त अनुदान के रूप में मॉग किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 16 **डा0 देश दीपक सिंह, एस0एम0एस0 (पशु विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र मसोधा एवं डा0 सन्दीप सिंह कश्यप , एस0 एम0 एस0 (पशु विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र सन्तकबीरनगर के अवरूद्व वेतन भुगतान के सम्बन्ध में प्रबन्ध परिषद की बैठक में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव ।**

वित्त उपसम्मिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त डा0 देश दीपक सिंह, एस0एम0एस0 (पशु विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र मसोधा एवं डा0 सन्दीप सिंह कश्यप , एस0 एम0 एस0 (पशु विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र सन्तकबीरनगर के अवरूद्व वेतन भुगतान हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड –II to IV एव अध्ययन अवकाश नियमों के दृष्टिगत वेतन भुगतान की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 17 **विश्वविद्यालय के अधीन संचालित अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओ में कुछ पदों अथवा परियोजना के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप कार्मिकों का अन्य परियोजनाओ अथवा विभागों में समायोजन समय से न हो पाने की स्थिति में लम्बित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय के अधीन संचालित अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओ की समाप्ति एवं संचालित परियोजनाओ में पदों के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप कार्मिकों का अन्य परियोजनाओ अथवा विभागों में समायोजन समयान्तर्गत न हो पाने की स्थिति में सन्दर्भित अवधि के लम्बित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी कि उक्त भुगतान किये जाने शासन के वित्त विभाग को पत्र प्रेषित किया जाए।

प्रस्ताव सं0 18 **नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मात्स्यिकी महाविद्यालय के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक(एक पद) एवं सह प्राध्यापक (एक पद) के पदो को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के मात्स्यिकी महाविद्यालय के पदो को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव सं0 19 **नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय , कुमारगंज, फैजाबाद के अधीन संचालित महामाया कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर में पंचम डीन कमेटी के अनुसंशा के आधार पर 20.00 हेक्टेयर भूमि की व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के अधीन संचालित महामाया कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर में पंचम डीन कमेटी के अनुसंशा के आधार पर निर्धारित मानक के अनुसार शासन को पत्र प्रेषित कर भूमि उपलब्ध कराये जाने की माँग किये जाने सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 20 **मा0 उच्च न्यायालय , नई दिल्ली के आदेश दिनांक 18–05–2018 के परिपालन में श्री भूपेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ लिपिक समायोजित पद– अध्यापक शारीरिक शिक्षा,अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग को दिनांक 1–8–2016 से 1–6–2018 तक के वेतन भुगतान दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में विचार एव निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय ,नई दिल्ली के आदेश दिनांक 18–05–2018 के परिपालन में श्री भूपेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ लिपिक समायोजित पद– अध्यापक शारीरिक शिक्षा,अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग का दिनांक 01–08–2016 से 01–06–2018 तक के वेतन भुगतान किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
वित्त उप समिति

(जीत सिंह सन्धू) 31/7/18
कुलपति/अध्यक्ष
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/वि0उ0स0/लेखा/2018/589 दिनांक 21 –07–2018

प्रतिलिपि – प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/ सचिव
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज ,फैजाबाद

आय–व्ययक पुनरीक्षित व्यय वर्ष वर्ष 2017–18 एवं अनुमान वर्ष 2018–19 (धनराशि हजार रू0 में)

कमांक	मुख्य लेखाशोर्षक	पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2017–18	प्रस्तावित अनुमान वर्ष 2018–19
1	2	3	4
1	राज्य सरकार आयोजनेत्तर योजनाएं		
क	कृषि विश्वविद्यालय	471664	637731
ख	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	92536	137018
ग	महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर	16612	23224
घ	प्रसार योजनाओं का सुदृढीकरण(कृषि ज्ञान केन्द्रो हेतु)	199	200
छ	आडिट फीस	5000	35407
ज	नये प्रवेशकों पर नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	0	35200
झ	**विभिन्न महाविद्यालयो के प्रयोगशालाओं एवं छात्रावासो का अनुरक्षण/ सुदृढीकरण**	0	**45147**
	योग (राज्य सरकार आयोजनेत्तर)	**586011**	**913927**
2	**राज्य सरकार आयोजनागत योजनाएं**		
क	भारतीय कृषि अनु0 परि0 के सहयोग से संचालित परियोजनाओ हेतु 75:25प्रतिशत परियोजनाओ हेतु 25 प्रतिशत राज्यांश	28331	34130
ख	विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य	74948	101510
ग	रावे पर व्यय(25 प्रतिशत)	0	250
घ	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय में वी0वी0एस0सी0एण्ड ए0एच0 पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के छात्रों हेतु इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु राज्यांश	0	250
च	कृषि महाविद्यालय आजमगढ की स्थापना हेतु	0	35357
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	98	7000
	विश्वविद्यालय में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स (धान पर अनुसंधान हेतु)	0	20000
	योग (राज्य सरकार आयोजनागत)	**103377**	**198497**
3	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित योजनाएं		

क	शत प्रतिशत वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु	202451	252456
ख	शत प्रतिशत वित्त पोषित शोध योजनाओं हेतु	9303	10000
ग	केन्द्रीय सहायता एन0टी0एस0	0	1
घ	रावे पर व्यय (75 प्रतिशत)	0	750
च	पुस्तकालय का सुदृढीकरण	0	1
छ	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा 75:25 प्रतिशत के अन्तर्गत संचालित योजनाओं हेतु (75 प्रतिशत धनराशि)	84994	102391
ज	शिक्षकों के यू0जी0सी0एरियर के भुगतान हेतु	538	2000
	योग	**297286**	**367599**
4	अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनायें	9320	67
	योग	**9320**	**67**
5	चक्रीय निधि	31985	78444
	योग	**31985**	**78444**
	सम्पूर्ण योग (1 से 5 तक)	**1027979**	**1558534**

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज,फैजाबाद की वित्त उप समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : **16**–10–2018

स्थान : सभाकक्ष
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डी भवन अष्टम तल, विभूतिखण्ड,
गोमतीनगर ,
लखनऊ ।

समय : **अपरान्ह 12.30 बजे ।**

उपस्थित :

1– प्रो0 जीत सिंह सन्धू , कुलपति – अध्यक्ष

2– श्री राधेश्याम , अनुसचिव ,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

3– श्री नीरज श्रीवस्तव ,अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन फैजाबाद मण्डल फैजाबाद नामित सदस्य प्रमुख सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

4– श्री कृष्ण चन्द्र राय शर्मा ,उप सचिव उच्च शिक्षा प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

5– श्री छेदी सिंह , मान0सदस्य प्रबन्ध परिषद – सदस्य

6– श्री लाल प्रताप सिंह , वित्त नियंत्रक – सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया, तथा माननीय सदस्यों से परिचय हुआ , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत् प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत संस्तुतियॉ प्रदान की गयी :–

प्रस्ताव सं0 1 वित्त उप समिति की गत बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 09–07–2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

प्रस्ताव सं0 2 वित्त उप समिति की गत बैठकों में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही की सूचना ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 09–07–2018 में लिये गये निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना से माननीय सदस्य अवगत हुये एवं निम्नवत परामर्शो के साथ सहमति व्यक्त की गयी ।

<u>वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 09–07–2018 के संबंध में विचार एवं निर्णय</u>

प्रस्ताव सं0 4 **विश्वविद्यालय कार्मिकों के भुगतान को पेरोल, साफटवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड कराये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

वित्त उपसमिति को पेरोल साफटवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड कराने संबंधी कार्य की प्रगति से अवगत कराया गया जिस पर समिति के माननीय सदस्यो द्वारा सर्वसम्मति से यह सुझाव दिया गया कि कार्य को और गति प्रदान करते हुए दिनांक 15 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण कर लिया जाय तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय के समस्त विभागों को सूचित कर यथाशीघ्र वांछित सूचना प्राप्त कर ली जाय ।

प्रस्ताव सं0 10 **विश्वविद्यालय के उद्यान एव वानिकी महाविद्यालय में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त पद पर प्राध्यापक/ सह प्राध्यापक /सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करनें के सम्बन्ध में विचार एव निर्णय ।**

प्रस्ताव सं0 11 **विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव ।**

प्रस्ताव सं0 12 **पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में शैक्षिक सम्वर्ग में स्वीकृत 12 पदों को भरे जाने हेतु शैक्षिक अर्हता निर्धारित किए जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।**

प्रस्ताव सं0 13 **विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय , उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, मात्स्यिकीय महाविद्यालय. गृह विज्ञान महाविद्यालय, कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्यौगिकी महाविद्यालय , पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव।**

प्रस्ताव सं0 18 **नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय में मात्स्यिकी महाविद्यालय के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक(एक पद) एव सह प्राध्यापक (एक पद) के पदो को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव।**

उक्त प्रस्तावों पर वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों के साथ चर्चा के दौरान श्री राधेश्याम ,अनुसचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान द्वारा अपना विचार प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 31 जुलाई 2018 को आहूत बैठक की कार्यवृत्त के अनुसार विश्वविद्यालय मे सृजित रिक्त पदो के भरे जाने की कार्यवाही की जाए , जिस पर माननीय कुलपति महोदय ने वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यो को

अवगत कराया कि समस्त सृजित पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही शासन के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही की जायेंगी । अधिष्ठाता के पद के लिए चयन समिति बनाकर म्हाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों में से चयन किया जाय । अधिष्ठाता का अल्ग से कोई भी पद नही भरा जायेगा ।

उपरोक्तानुसार वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 15 **विश्वविद्यालय कर्मियों के माह अगस्त 2011 से जुलाई 2012 के मध्य जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि कोषागार में जमा किये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय कर्मियों के जी0पी0एफ0 कटौती की पूर्ण धनराशि समय से कोषागार में जमा करनें हेतु शासन से वेतनमद में अतिरिक्त अनुदान की मॉग की जाय जिससे कि विश्वविद्यालय के कार्मिकों के जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि समयान्तर्गत कोषागार में जमा की जा सके ।

उपरोक्तानुसार वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 17 **विश्वविद्यालय के अधीन संचालित अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओ में कुछ पदों अथवा परियोजना के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप कार्मिकों का अन्य परियोजनाओ अथवा विभागों में समायोजन समय से न हो पाने की स्थिति में लम्बित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान करते हुए यह सुझाव दिया गया कि उक्त भुगतान किये जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए।

<u>वित्त उपसमिति की बैठक दिनांक 16–10–2018 के संबधं में विचार एवं निर्णय</u>

प्रस्ताव सं0 3 **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से जनपद गाजीपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।**

उक्त प्रस्ताव पर वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों के साथ चर्चा के दौरान श्री राधेश्याम ,अनुसचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान द्वारा अपना विचार प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया कि चूँकि कृषि विज्ञान केन्द्रों के पदों का सृजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा किया जाता है अतएव वित्त उपसमिति के समक्ष पदो के सृजन के संबंध में प्रस्ताव न रखते हुए सूचनार्थ प्रेषित किया जाए व पदो पर नियुक्ति किये जाने के पूर्व शासन को सूचित करते हुए अनुमति प्राप्त कर ली जाए ।

उपरोक्तानुसार वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 4 **विश्वविद्यालय के अन्तर्गत माननीय प्रबन्ध परिषद की 8वीं बैठक के मद सं0 16 द्वारा सृजित अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर नियमित नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।**

उक्त प्रस्ताव पर वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों के साथ चर्चा के दौरान श्री राधेश्याम ,अनुसचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा पदो को भरे जाने के संबधं में पूर्व में ही शासन की अनुमति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है जो विचाराधीन है । अतएव पदो को भरे जाने के संबंध में जब तक शासन का कोई निर्णय न प्राप्त हो , प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत नही होता है ।

उपरोक्त से अवगत होते हुए वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 5 **विश्वविद्यालय परिसर में स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा पिठला एद पंजाब नेशनल बैंक ,कुमारगंज ,फ़ैजाबाद को परिसर में ज्यादा कारपेट एरिया वाले भवन के आवंटन के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उप समिति द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक , कुमारगंज,फ़ैजाबाद को परिसर में ज्यादा कारपेट एरिया के आवंटन के सबंध में विचार विमर्श किया गया। वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पंजाब नेशनल बैंक , कुमारगंज ,फ़ैजाबाद को विश्वविद्यालय परिसर में ज्यादा कारपेट एरिया के आवंटन की संस्तुति प्रदान की गयी। यह भी प्रस्तावित किया गया कि प्रथमतः भवन का आवंटन दस वर्षो के लिए किया जाय तथा विश्वविद्यालय एवं बैंक की सहमति पर आगामी पॉच –2 वर्षो के लिए भवन दो बार आवंटित किया जायेगा ।

प्रस्ताव सं0 6 **"Creation of Seed hub for increasing indigenous procuction of Pulse in India " परियोजना के अन्तर्गत चक्रीय निधि खाते के वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय व्यय के अनुमोदित किये जाने हेतु प्रस्ताव ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त परियोजना के अन्तर्गत चक्रीय निधि खाते के वित्तीय वर्ष 2018–19 का आय व्ययक पर संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार संस्तुति प्रदान की गयी ।

<u>अन्य निर्णय</u>

1– माननीय अध्यक्ष/कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षको को कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक से सह प्राध्यापक तथा सह प्राध्यापक से प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति के संबध में वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में लगभग 10 वर्षो से उक्त लाभ नही प्रदान किया गया है । अतएव वर्तमान में उक्त लाभ प्रदान किया जाना है जिसके कम में कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत आयोजित साक्षात्कार में सम्मिलित हुये शिक्षको /वैज्ञानिकों के परिणामों को प्रबन्ध परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है । वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी कि

शिक्षको को कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति किये जाने पर आने वाले वित्तीय व्यय भार की सूचना शासन को प्रेषित कर अतिरिक्त अनुदान की माँग की जाए ।

2– माननीय अध्यक्ष/कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सुविधा लागू किये जाने हेतु वित्त उप समिति के माननीय सदस्यों से चर्चा की जिस पर वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबधं में शासन में लागू शासनादेश को पूर्णरूप से जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Ccmpulsory Retirement) भी सम्मिलित है ,को लागू किये जाने हेतु कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग उ0प्र0शासन से अनुमति प्राप्त कर ली जाय तथा अनुमति प्राप्त हाने के पश्चात उक्त शासनादेश को लागू कर दिया जाय तथा इस सम्बन्ध मे किये गये सेवानिवृत्त संबधी प्रकरणो से प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया जाए ।

3– माननीय अध्यक्ष/कुलपति द्वारा अवगत कराया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वाहन क्रय किये जाने हेतु धनराशि आवंटित की गयी है ,जिस पर श्री राधेश्याम ,अनुसचिव द्वारा सुझाव दिया गया कि यदि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वाहन क्रय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है तो वाहन का क्रय किया जा सकता है । वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
वित्त उप समिति

(जीत सिंह सन्धू) 17/10/18
कुलपति/ अध्यक्ष
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/वि0उ0स0/लेखा/2018/1013 दिनांक 17–10–2018.

प्रतिलिपि – प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/ सचिव
वित्त उप समिति

Narendra Deva University of Agriculture & Technology
Kumarganj, Faizabad-224 229 (U.P.) India
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद (उ0प्र0)

पत्रांकःएन0डी0यू0ए0टी0–8/लेखा/ वि0उ0स0/ 2018/1150 दिनांक 14 –11–2018

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग,
उ0प्र0शासन,
लखनऊ ।

सम्मानित महोदय,

विश्वविद्यालय की वित्त उप समिति की बैठक दिनाक 16–10–2018 की कार्यवृत्त जो अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक :एन0डी0यू0ए0टी0–8/वि0उ0स0/लेखा/2018/1019 दिनांक 17–10–2018 द्वारा आपको प्रेषित थी का संदर्भ कृपया सादर आमंत्रित है । तद्क्रम में अवगत कराना है कि संदर्भित कार्यवृत्त के पृष्ठ–5 बिन्दु–3 (अन्य निर्णय) पर वित्त उपसनिति की संस्तुति सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नवत संशोधित की जाती है:–

बिन्दु–3 माननीय अध्यक्ष/कुलपति द्वारा अवगत कराया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वाहन कय किये जाने हेतु धनराशि आवंटित की गयी है ,पर वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी कि यदि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वाहन कय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है तो वाहन का कय नियमानुसार किया जाय ।

कृपया अवगत होना चाहें ।

सादर ,

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक /सचिव
वित्त उप समिति

प्रतिलिपि– प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक /सचिव
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या की वित्त उप समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 27–11–2018

स्थान : सभाकक्ष
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डी भवन अष्टम तल, विभूतिखण्ड,
गोमतीनगर ,
लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 1.00 बजे ।

उपस्थित :

1– प्रो0 जीत सिंह सन्धू , कुलपति – अध्यक्ष

2– श्री राधेश्याम अनुसचिव ,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

3– श्री नीरज श्रीवस्तव ,अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन अयोध्या मण्डल ,अयोध्या नामित सदस्य प्रमुख सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

4– श्री कृष्ण चन्द्र राय शर्मा ,उप सचिव उच्च शिक्षा प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

5– श्री छेदी सिंह , मान0सदस्य प्रबन्ध परिषद – सदस्य

6– श्री लाल प्रताप सिंह , वित्त नियंत्रक – सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया, तथा माननीय सदस्यों से परिचय हुआ , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत संस्तुतियॉ प्रदान की गयी :–

प्रस्ताव सं0 1 वित्त उप समिति की गत बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 16–10–2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

प्रस्ताव सं0 2 वित्त उप समिति की गत बैठकों में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही की सूचना ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 16–10–2018 में लिये गये निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना से माननीय सदस्य अवगत हुये एवं निम्नवत परामर्शो के साथ सहमति व्यक्त की गयी ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 16–10–2018 के संबंध में विचार एवं निर्णय

प्रस्ताव सं0 4 विश्वविद्यालय कार्मिकों के भुगतान को पेरोल, साफटवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड कराये जाने के संबधं में विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति को पेरोल साफटवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड संबंधी कार्य की प्रगति से अवगत कराया गया।

प्रस्ताव सं0 10 विश्वविद्यालय के उद्यान एव वानिकी महाविद्यालय में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त पद पर प्राध्यापक/ सह प्राध्यापक /सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करनें के सम्बन्ध में विचार एव निर्णय ।

प्रस्ताव सं0 11 विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताद ।

प्रस्ताव सं0 12 पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में शैक्षिक सम्वर्ग में स्वीकृत 12 पदों को भरे जाने हेतु शैक्षिक अर्हता निर्धारित किए जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।

प्रस्ताव सं0 13 विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय , उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, मात्स्यिकीय महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय, कृषि अभिंत्रण एवं प्रौद्यौगिकी महाविद्यालय , पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव सं0 18 नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय में मात्स्यिकी महाविद्यालय के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक(एक पद) एव सह प्राध्यापक (एक पद) के पदो को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव।

उक्त प्रस्तावों पर अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि नियुक्ति के संबंध में शासन से दिशानिर्देश प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रस्ताव सं0 15 विश्वविद्यालय कर्मियों के माह अगस्त 2011 से जुलाई 2012 के मध्य जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि कोषागार में जमा किये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय कर्मियों के जी0पी0एफ0 कटौती को पूर्ण धनराशि समय से कोषागार में जमा करनें हेतु शासन से वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट के वेतनमद में अतिरिक्त अनुदान अथवा चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में पुर्नविनियोग के रूप मे अतिरिक्त अनुदान की मॉग

किये जाने का सुझाव दिया गया जिससे कि विश्वविद्यालय के कार्मिकों के जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि समयान्तर्गत कोषागार में जमा की जा सके ।

प्रस्ताव सं0 17 विश्वविद्यालय के अधीन संचालित अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओ में कुछ पदों अथवा परियोजना के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप कार्मिकों का अन्य परियोजनाओ अथवा विभागों में समायोजन समय से न हो पाने की स्थिति में लम्बित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त भुगतान किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है ।

वित्त उपसमिति की बैठक दिनांक 27–11–2018 के संबंध में विचार एवं निर्णय

प्रस्ताव स0 :3 मान0 प्रबन्ध परिषद की 171वीं बैठक दिनांक 03–03–2016 के मद सं0 171:1 द्वारा अतिथि शिक्षकों (गेस्ट फैकल्टी) का पुनरीक्षित दर केटेंगरी प्रथम को रू0 30000/'–(रू0 तीस हजार) मात्र एवं केटेगरी द्वितीय को रू0 35000/'–(रू0 पैतीस हजार) मात्र किया गया था,, उक्त के स्थान पर पुनरीक्षित दर केटेगरी प्रथम को रू0 40000/'–(रू0 चालीस हजार) मात्र एवं केटेगरी द्वितीय को रू0 50000/'–(रू0 पच्चास हजार) मात्र किये जाने हेतु विचार एवं निर्णय ।

उक्त प्रस्ताव पर सम्ययक विचारोपरान्त वित्तउपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्न संस्तुतियॉ प्रदान की गयी :–

1– अतिथि शिक्षकों (गेस्ट फैकल्टी) का पुनरीक्षित दर केटेगरी प्रथम को रू0 30000/'–के स्थान पर रू0 40000/'–(रू0 चालीस हजार) मात्र एवं केटेंगरी द्वितीय को रू0 35000/'–के स्थान पर रू0 50000/'(रू0 पच्चास हजार) मात्र पुनरीक्षित पारिश्रमिक दर पर किये जाने की संस्तुति की गयी ।

2– शासनादेशानुसार सेवानिवृत्त शिक्षकों को अतिथि शिक्षक (गेस्ट फैकल्टी) के रूप में नियुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी ।

3– उक्त पारिश्रमिक का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा अपने श्रोतें से वहन किये जाने की भी संस्तुति प्रदान की गयी ।

4– यह भी संस्तुति की गयी कि पारिश्रमिक की पुनरीक्षित दरे वर्ष 2018–19 के द्वितीय सेमेस्टर से प्रभावी मानी जाए ।

प्रस्ताव स0 : 4 **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों के पदनाम को वर्तमान पदनाम के अनुसार संशोधित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से उप सचिव (कृषि प्रसार) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद , कृषि अनुसंधान भवन पूसा नई दिल्ली के पत्र स0 A-Extn-7/22/2017-AE-II dated 23rd August 2018 द्वारा , कृषि विज्ञान केन्द्र गाजीपुर के लिए अनुमोदित मानवशक्ति में इगित पदनाम के अनुसार विश्वविद्यालय के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्रों के पदनाम को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी :–

Present Designation of post	Revised Designation of Post	NO.of post		
		Pay Band	Pay Scales	Grade
Programme Co-ordinator	Senior Scientist and Head	01	37400-67000	GP-9000
Computer Programmer	Programme Assistant (Computer) T-4	01	9300-34800	GP-4200
Programme Assistant	Programme Assistant (Computer) T-4 (Lab Technician)	01	9300-34800	GP-4200
Office Superintendant cum Accountant	Assistant-ICAR	01	9300-34800	GP-4200
Driver Cum Mechanic	Driver	02	5200-20200	GP-2000
Support Staff	Skilled Support Staff	02	5200-20200	GP-1800

वित्त उपसमिति द्वारा यह भी संस्तुति की गयी कि पूर्व में Office Superintendant cum Accountant के पदनाम से नियुक्त कार्मिकों के पदनाम कों Office Superintendant cum Accountant (Assistant- ICAR) के रूप में संशोधित किया जाय ।

उपरोक्तानुसार किये गये संशोधित पदनामो की प्रविष्टि तदानुसार सेवापुस्तिका में की जाय ।

प्रस्ताव स0 5 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित **Establishment of Model Seed Testing Laboratory"** परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित Establishment of Model Seed Testing Laboratory" परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने संस्तुति प्रदान की गयी ।

<u>अन्य निर्णय</u>

1– वित्त उपसमिति द्वारा अतिथि शिक्षक (गेस्ट फैकल्टी) को शासनादेशानुसार प्रत्येक सेमेस्टर में 05 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं 07 दिवस का चिकित्सा अवकाश दिये जाने सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

2– वित्त उपसमिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने की अनुमति हेतु शासन से पुनः अनुरोध किया जाय जिससे शिक्षकों की नियुक्ति की प्रकिया प्रारभ की जा सके ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक / सचिव
वित्त उप समिति

(जीत सिंह सन्धू) 27/XI/18
कुलपति / अध्यक्ष
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0 / 8 / वि0उ0स0 / लेखा / 2018 / 1224 दिनांक 27–11–2018

प्रतिलिपि – प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक / सचिव
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या की वित्त उप समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 04–01–2019

स्थान : सभाकक्ष
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डी भवन अष्टम तल, विभूतिखण्ड,
गोमतीनगर ,
लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 12.30 बजे ।

उपस्थित :

1– प्रो0 जीत सिंह सन्धू , कुलपति – अध्यक्ष

2– श्री राधेश्याम , अनुसचिव ,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

3– श्री कृष्ण चन्द्र राय शर्मा ,उप सचिव उच्च शिक्षा प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0शासन । – सदस्य

4– श्री छेदी सिंह , मान0सदस्य प्रबन्ध परिषद – सदस्य

5– श्री लाल प्रताप सिंह , वित्त नियंत्रक – सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों को नववर्ष 2019 के मंगलमय होने की शुभकामनायें दी गयी तथा आशा व्यक्त की गयी कि माननीय सदस्यों का सहयोग विश्वविद्यालय की प्रगति मे पूर्ववर्षो की भॉति आगे भी मिलता रहेगा , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत संस्तुतियॉ प्रदान की गयी :–

प्रस्ताव सं0 1 वित्त उप समिति की गत बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 27–11–2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

प्रस्ताव सं0 2 वित्त उप समिति की गत बैठकों में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही की सूचना ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 27–11–2018 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से माननीय सदस्य अवगत हुये एवं निम्नवत परामर्शो के साथ उक्त पर सहमति व्यक्त की गयी ।

<u>वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 27–11–2018 के संबंध में विचार एवं निर्णय</u>

प्रस्ताव सं0 4 विश्वविद्यालय कार्मिकों के भुगतान को पेरोल, साफटवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड कराये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

वित्त नियंत्रक /सचिव वित्त उपसमिति द्वारा अवगत कराया गया कि पेरोल साफटवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड संबंधी कार्य अपरिहार्य कारणोवश अभी पूर्ण नहो हो पाया है , ऐसी स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय कार्मिकों को माह दिसम्बर 2018 के वेतन का भुगतान पूर्व की भॉति भुगतान किये जाने की संस्तुति प्रदान करते हुए अपेक्षा की गयी कि माह जनवरी 2019 के वेतन का भुगतान पेरोल साफटवेयर के माध्यम से किये जाने का प्रयास किया जाय।

प्रस्ताव सं0 10 विश्वविद्यालय के उद्यान एव वानिकी महाविद्यालय में प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित रिक्त पद पर प्राध्यापक/ सह प्राध्यापक /सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करनें के सम्बन्ध में विचार एव निर्णय ।

प्रस्ताव सं0 11 विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव ।

प्रस्ताव सं0 12 पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में शैक्षिक सम्वर्ग में स्वीकृत 12 पदों को भरे जाने हेतु शैक्षिक अर्हता निर्धारित किए जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।

प्रस्ताव सं0 13 विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय , उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, मात्स्यिकीय महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय, कृषि अभिंत्रण एवं प्रौद्यौगिकी महाविद्यालय , पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के पदों को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के स्म्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव सं0 18 नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय में मात्स्यिकी महाविद्यालय के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक(एक पद) एव सह प्राध्यापक (एक पद) के पदो को भरे जाने एवं शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव।

उक्त प्रस्तावों पर अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि नियुक्ति के संबंध में शासन से अनुमति अभी तक प्राप्त नही हुयी है । वित्त उपसमिति द्वारा सुझाव दिया गया कि शासन की अनुमति हेतु पूर्ण विवरण सहित संदर्भित रिक्त पदो को भरने की अनुमति हेतु पुनः अनुरोध किया जाय ।

प्रस्ताव सं0 15 विश्वविद्यालय कर्मियों के माह अगस्त 2011 से जुलाई 2012 के मध्य जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि कोषागार में जमा किये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत ।

वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों को वित्त नियंत्रक /सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि माह अगस्त 2011 से जुलाई 2012 के मध्य जी0पी0एफ0 कटौती धनराशि कोषागार में जमा करने हेतु शासन से अतिरिक्त अनुदान की मॉग की गयी है ।

प्रस्ताव सं0 17 विश्वविद्यालय के अधीन संचालित अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओ में कुछ पदों अथवा परियोजना के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप कार्मिकों का अन्य परियोजनाओ अथवा विभागों में समायोजन समय से न हो पाने की स्थिति में लम्बित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त भुगतान किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है ।

प्रस्ताव सं0 : 4 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों के पदनाम को वर्तमान पदनाम के अनुसार संशोधित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त निम्न पदनामों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की संस्तुति की गयी :–

1– कृषि विज्ञान केन्द्रों नें पूर्व में Office Superintendant cum Accountant के पदनाम से नियुक्त कार्मिको के पदनाम कों Office Superintendant cum Accountant के रूप में रहने दिया जाय ,इसमें कोई संशोधन न किया जाय तथा आगे की जाने वाली नियुक्ति Assistant-ICAR के पदनाम से ही की जाय ।

2– कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु Driver Cum Mechanic के पदनाम को Driver Cum Mechanic ही रहने दिया जाय ,इसमें कोई संशोधन न किया जाय ।

वित्त उपसमिति की बैठक दिनांक 04—01—2019 के संबधं में विचार एवं निर्णय

प्रस्ताव स03 : मान0 प्रबन्ध परिषद की दिनांक 27—11—2018 को आयोजित 182वीं बैठक के मद संख्या 182:6 में लिये गये निर्णयानुसार असेस्मेंट सम्बन्धी बन्द लिफाफे खोलने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रकरण प्रबन्ध परिषद की बैठक में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव स0 4 : **विश्वविद्यालय में सृजित संयुक्त निदेशक ,बीज एव प्रक्षेत्र के रिक्त पद पर नियमित चयन हेतु शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में सृजित संयुक्त निदेशक ,बीज एवं प्रक्षेत्र के रिक्त पद पर नियमित चयन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के शैक्षिक अर्हता में B.Sc. and M.sc.(Ag.) के स्थान पर B.Sc./B.Sc(Ag.) and M.sc.(Ag.) किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी । अवशेष अर्हता यथावत रहेगी ।

प्रस्ताव स0 5 : **अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओं के समस्त मुख्य अन्वेषको को आहरण–वितरण अधिकार प्रदान किये जाने हेतु विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में चल रही अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओं के समस्त मुख्य अन्वेषको को रू0 10000/–(रू0 दस हजार मात्र) की इम्प्रेस्ट (स्थायी अग्रिम) धनराशि स्वीकृत करने एव मुख्य अन्वेषकों को शोध परियोजनाओ से संबंधित कार्यो के त्वरित निष्पादन हेतु अतिआवश्यक सूक्ष्म व्यय (Petty Expenditure) स्वीकृत किये जाने के लिए अधिकृत किये जानें की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव स0 6 : **विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के आवासीय भवनों से निकलने वाले कूड़ें को ट्रैक्टर ट्रांली से उठवाने पर हो रहे व्यय की प्रतिपूर्ति परिसर वासियों से किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के आवासीय भवनों से निकलने वाले कूड़ें को ट्रैक्टर ट्राली से उठवाने पर हो रहे व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु माह दिसम्बर 2018 से रू0 50/–(रू0 पच्चास मात्र) प्रतिमाह की कटौती परिसर वासियों से किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव स0 7: **विश्वविद्यालय परिसर की चहारदीवारी से बाहर स्थित समस्त प्रक्षेत्रों पर मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 से सीधे विद्युत कनेक्शन लिये जाने एवं उक्त प्रक्षेत्रों पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित विद्युत वितरण इन्फास्ट्रक्चर मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय परिसर की चहारदीवारी से बाहर स्थित समस्त प्रक्षेत्रों पर मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 से सीधे विद्युत कनेक्शन लिये जाने एवं उक्त प्रक्षेत्रों पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित विद्युत वितरण इन्फास्ट्रक्चर मध्यान्चल विद्युत

वितरण निगम लि0 को हस्तान्तरित किये जाने पर सम्यक विचारोपरान्त सुझाव दिया गया कि पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव शासन के प्रेषित करते हुए सहमति प्राप्त कर ली जाय ।

प्रस्ताव सं0 8 : **विश्वविद्यालय परिसर आवासीय भवनों हेतु मध्यान्चल विद्युत वितरण निमम लि0 से एक अलग सिंगल प्वाइन्ट विद्युत कनेक्शन लिये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय परिसर के आवासीय भवनों हेतु मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 से एक अलग से सिंगल प्वाइन्ट विद्युत कनेक्शन लिये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

अन्य निर्णय :– सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में प्राप्त शासनादेशो के अनुसार मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता दिये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक / सचिव
वित्त उप समिति

5/1/19
(जीत सिंह सन्धू)
कुलपति / अध्यक्ष
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0 / 8 / वि0उ0स0 / लेखा / 2019 / 1391 दिनाक 05–01–2019

प्रतिलिपि – प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक / सचिव
वित्त उप समिति

5/1

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या की वित्त उप समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 07–02–2019

स्थान : सभाकक्ष
उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डी भवन अष्टम तल, विभूतिखण्ड,
गोमतीनगर ,
लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 1.00 बजे ।

उपस्थित :

1– प्रो० जीत सिंह सन्धू , कुलपति – अध्यक्ष

2– श्री नीरज श्रीवास्तव, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन अयोध्या मण्डल अयोध्या प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त विभाग उ०प्र०शासन – सदस्य

3– श्री राधेश्याम , अनुसचिव ,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ०प्र०शासन । – सदस्य

4– श्री कृष्ण चन्द्र राय शर्मा ,उप सचिव उच्च शिक्षा प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ०प्र०शासन । – सदस्य

5– श्री छेदी सिंह , मान०सदस्य प्रबन्ध परिषद – सदस्य

6– श्री लाल प्रताप सिंह , वित्त नियंत्रक – सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों का स्वागत स्वागत किया गया , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत संस्तुतियाँ प्रदान की गयी :–

प्रस्ताव सं० 1 वित्त उप समिति की गत बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 04–01–2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

प्रस्ताव सं० 2 वित्त उप समिति की गत बैठकों में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही की सूचना ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 04–01–2019 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से माननीय सदस्य अवगत हुये एवं उक्त पर सहमति व्यक्त की गयी ।

वित्त उपसमिति की बैठक दिनांक 07–02–2019 के संबधं में विचार एवं निर्णय

प्रस्ताव स0 3 : **विभिन्न न्यायालयों में विश्वविद्यालय के विरूद्व योजित याचिकाओ की पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं की फीस में संशोधन किये जाने पर मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा विभिन्न न्यायालयों में विश्वविद्यालय के विरूद्व योजित याचिकाओ की पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं की फीस में संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अधिवक्ताओं की फीस का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा अपने आन्तरिक श्रोतो से वहन किये जाने की संस्तुति प्रदान को गयी । साथ ही यह सुझाव दिया गया कि यदि शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान से भुगतान किया जाना है तो उसकी अनुमति शासन से प्राप्त की जाय ।

प्रस्ताव सं0 4: **शासनादेश स0 3/2018/जी–1–102/दस–2018'–226–2008 दिनांक 18 जुलाई 2018 के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत वैज्ञानिकों /कर्मचारियों को अयोध्या जनपद के स्थान पर कुमारगंज, का मकान किराया भत्ता दिये जाने के संबधं में विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित कार्यालयों में कार्यरत वैज्ञानिकों /कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता का भुगतान सातवे वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में जारी शासनादेश स0 3/2018/जी–1–102/दस–2018'–226–2008 दिनांक 18 जुलाई 2018 के अनुसार श्रेणी–स(अवर्गीकृत) के नगरो का मकान किराया भत्ता का भुगतान नियमानुसार किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
वित्त उप समिति

(जीत सिंह सन्धू) 8/2/19
कुलपति/ अध्यक्ष
वित्त उप समिति

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/वि0उ0स0/लेखा/2019/1644 दिनांक 08–02–2019

प्रतिलिपि – प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/ सचिव
वित्त उप समिति